अतिमहत्वपूर्ण / समय–सीमा

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
(1250, तुलसीनगर, भोपाल–462003)
(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)
(Tollfree Helpline for Persons with Disability -1800 233 4397)
(E-mail address: dpswbpl@nic.in)

क्रमांक / सामा.सहा. / 09 / 2018 / 621 भोपाल दिनांक 09-05-2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
   (मन्दसौर एवं अशोकनगर को छोड़कर)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, (मन्दसौर एवं अशोकनगर को छोड़कर)
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक, उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
   (मन्दसौर एवं अशोकनगर को छोड़कर)
   मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, (मन्दसौर एवं अशोकनगर को छोड़कर)
   मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत
   (मन्दसौर एवं अशोकनगर को छोड़कर)
   मध्यप्रदेश।

विषयः– पोस्ट आफिस के खाते में संधारित हितग्राहियों के खातों की जांच करने के संबंध में।

---0---

म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वृद्वजनों, कल्याणी, परित्यक्त एवं दिव्यांगजनों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन योजना,बहुविकलांगों को आर्थिक सहायता, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना इत्यादि संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में पेंशन हितग्राहियों को पेंशन के भुगतान में आने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान ई.पें.ओ. (इलेक्ट्रॉनिक पेंमेंट आर्डर) के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को अधिकृत किया गया है।

2

2. माह फरवरी पेडइन मार्च 2018 में 49 जिलों के 3324 हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं की राशि ₹ 10,92,600/– का भुगतान सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से किया गया है। उक्त पेंशन राशि में से हितग्राहियों के पोस्ट आफिस के खाते में राशि ₹ 2,80,900/– रिजेक्टेड हुई है। 3324 हितग्राहियों की सूची आपको ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गई है।

3. अतः अनुरोध है कि आपके जिले के पेंशन हितग्राही जिनके खाते पोस्ट आफिस में है उन समस्त खातों की जांच करायी जाकर पेंशन पोर्टल पर फिनेकल के नवीन खाता नम्बर अपडेट करने की कार्यवाही 20 मई 2018 तक सुनिश्चित की जाये, ताकि मई माह में समयावधि में पोस्ट आफिस के खातों में हितग्राहियों के बचत खाते में राशि जमा हो सके।

यदि किसी मृत, अपात्र व डुप्लीकेट हितग्राही को पेंशन राशि का भुगतान होता है अथवा पात्र हितग्राही को असफल भुगतान होता है उक्त स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका, नगर परिषद् पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

9/5/18

(मनोज बाथम)
उप संचालक
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश